

प्रेषक

22/8/16

4111
25/8/16

निदेशक,
अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग,
कल्याण विभाग हरियाणा

सेवा में



महानिदेशक,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
सैक्टर-17, चण्डीगढ़ ।

क्रमांक: शिक्षा-1/2016/ 21113
दिनांक: 17/08/2016

विषय:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढने वाले छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने बारे ।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक शिक्षा-1/2015/13951-76 दिनांक 10.12.2015 व पत्र क्रमांक 15067-92 दिनांक 16.06.16 (प्रति संलग्न)के संदर्भ में।

2. सरकार द्वारा पुनः निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कोर्सवाईज भरी गई कुल सीटों में से अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 40 प्रतिशत की बजाये 50 प्रतिशत छात्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर छात्रवृत्ति के पात्र होंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

DSS
राजेन्द्र सिंह साँगवान 27/8
उप-निदेशक (प्रशि0)

कृते: निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठोंकन क्रमांक: शिक्षा-1/2016/

दिनांक:

इसकी एक प्रति सभी जिला कल्याण अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राजेन्द्र सिंह साँगवान,
उप-निदेशक (प्रशि0)

कृते: निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।

P.T.O

निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चन्डीगढ़।

पृ०क० T-4/PMS/SC/2015-16/

8074

दिनांक:

6/9/16

- उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के पत्र क० शिक्षा-1/2016/21113/ दिनांक 17.8.2016 के सन्दर्भ में।
 2. संयुक्त निदेशक (योजना)।
 3. सभी प्रधानाचार्य, प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में) को निर्देश दिये जाते है कि वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के पत्र क० शिक्षा-1/2016/21113/ दिनांक 17.8.2016 के अनुसार कार्यावाही करना सुनिश्चित करें।
 4. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने-2 जिले में स्थित सभी प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के पत्र क० शिक्षा-1/2016/21113/ दिनांक 17.8.2016 के पत्र अनुसार कार्यावाही करवाना सुनिश्चित करवाएँ।
 5. उप-निदेशक (प्रशिक्षण-IV) प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त पत्र अनुसार कार्यावाही करवाना सुनिश्चित करें।
 6. नोडल अधिकारी बैवसाईट (मुख्यालय) वबैसाईट पर डालने हेतु भेजी जाती है।
 7. सैन्ट्रल डी०डी०ओ०/नोडल अधिकारी, पी०एम०एस० एवं उप निदेशक लेखा (मुख्यालय पर)।

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-I)

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।